न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 33/2021 – निगरानी

प्रेम देवी पत्नी स्व0 बनाम गोविन्दराम सोनी निवासी– गढ़ के पास, गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

1. जगदीश सोनी पुत्र कन्हैया लाल सोनी निवासी लूणदा हाल कारोई
2. ग्राम पंचायत गुरला पं.सं. सुवाणा जिला भीलवाड़ा जरिये संरपच ग्राम पंचायत गुरला पं.सं. सुवाणा जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत गुरला पं.सं. सुवाणा जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गुरला पं.सं. सुवाणा जिला भीलवाड़ा
4. एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 शाखा कार्यालय गायत्री आश्रम के पास, भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा – 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत गुरला पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा बुक संख्या 153 मिसल संख्या 193 दिनांक 06/10/2019 पट्टा संख्या 25 दिनांकित 18/11/2019

उपस्थित –

1. श्री उदयसिंह दरोगा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री किशनलाल कुमावत अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से
3. श्री ऋषि तिवाड़ी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 04 की ओर से

निर्णय

दिनांक 19.09.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार की एक पट्टेशुदा जायदाद आबादी हल्का गुरलां तहसील एवं जिला भीलवाड़ा मे स्थित है, जो बुक संख्या 153 मिसल संख्या 193 दिनांक 05/06/2017 पट्टा संख्या 25 दिनांक 07/07/2017 को पडौस पूर्व मे आम रास्ता, पश्चिम में गौतम आश्रम, उत्तर मे गोपाल त्रिपाठी व दक्षिण में रामपाल त्रिपाठी का जारीशुदा है व उक्त पट्टा आवासीय मकान का है व बाड़े का बापी पट्टा दिनांक 25/10/1975 को पट्टा संख्या 13 का निगराकार के पति गोविन्दराम पुत्र मदन लाल स्वर्णकार के पक्ष में जारी किया गया, जिसमे मकान बना रखा है व टेन्ट आदि का सामान डालकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हे, जिसके पडौस पूर्व मे पड़त सरकारी वर्तमान में आम रास्ता,

पश्चिम मे रामचन्द्र सुनार का बाड़ा वर्तमान में कैलाश सैन व उत्तर मे जगदम्बा प्रसाद वर्तमान मे कन्हैया लाल सिंह व दक्षिण मे पडत वर्तमान मे मुरलीधर वैष्णव है। जिस पर निगराकार काबिज है। उक्त दोनो जायदाद का पट्टा जारी होते हुए भी गैर निगराकार संख्या 01 एक जो कि गोविन्दराम का पुत्र नहीं होते हुए भी फर्जी दस्तावेज तैयार कर गोविन्दराम सोनी का पुत्र बनकर फर्जी पट्टा बुक संख्या 153 मिसल संख्या 193 दिनांक 06/10/2019 के पट्टा संख्या 25 दिनांक 18/11/2019 पडौस पूर्व मे आम रास्ता, पश्चिम मे कैलाश सैन, उत्तर मे कन्हैया लाल सिंह व दक्षिण मे मुरलीधर वैष्णव के मध्य का अपने पक्ष में जारी करवा दिया गया, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। निगराकार व उसके पति गोविन्दराम स्वर्णकार के जगदीश नाम का कोई लड़का नही हुआ है व न ही कोई पुत्र ही पैदा हुआ है, बल्कि 4 पुत्रीया रघुवंती, संतोष व रेखा व सीमा है, जिसकी चारो की शादी हो चुकी है व संतोष का निधन हो गया है। गैर निगराकार संख्या 01 जगदीश जो कि रघुवंती का पुत्र होकर निगराकार का दोयता है। फिर भी गैर निगराकार संख्या 01 ने निगराकार के पति का पुत्र बनकर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर तथाकथित पट्टा जारी करवाया गया है, जो खारीज होने योग्य है। गैर निगराकार सख्या 01 के पक्ष में तथाकथित पटटा गैर निगराकार सख्या 02 एवं 03 को जारी किया गया है, जिसका ग्राम पंचायत मे भी कोई रेकार्ड नही है, गैर निगराकार संख्या 01 का पट्टेदा जायदाद पर कभी कोई कब्जा नही रहा है व न ही कब्जा हैं, फिर भी गैर निगराकार संख्या 04 से मिलीभगती कर उक्त जायदाद पर ऋण प्राप्त कर लिया गया व गैर निगराकार संख्या 04 द्वारा बिना मौके पर आये जांच पडताल किये, गलत तरीके से ऋण स्वीकृत किया गया है। माह अगस्त 2020 में मौके पर आकर ऋण जारी करने की बात कही, जिस पर निगराकार द्वारा जानकारी करने पर उक्त फर्जी पट्टे की जानकारी हुई, जिस पर निगराकार द्वारा थाना कारोई जिला भीलवाड़ा पर मुकदमा नम्बर 125/2020 अपराध धारा 406,420,120 बी भा.दं.सं. के तहत दर्ज हुआ, जो जैर अनुसंधान है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 ने नियम 147–148 की पालना भी विधिवत नहीं की, न ही कोई ग्राम पंचायत गुरला मे पट्टेशुदा भूमि की सूचना बस स्टेण्ड या सहजदृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये। गैर निगराकार संख्या 02 ने पंचायत राज नियमो धारा 142 से 157 की पालना नहीं की है।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। न ही विपक्षी संख्या 01 ने उक्त प्रश्नगत पटटा संख्या 25 का मूल पटटा प्रदर्शित किया हैं।

पत्रावली परीक्षण से यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि विपक्षी संख्या 04 ने विपक्षी संख्या 01 को ऋण प्रदान करते समय जो दस्तावेज (पेन कार्ड व आधार कार्ड की फोटोप्रति) पत्रावली पर उपलब्ध कराये हैं उनमें विपक्षी संख्या 01 की उम्र वर्ष 1992 अंकित हैं। निगरानी पर उपलब्ध प्रश्नगत पटटा संख्या 25 जो विपक्षी संख्या 01 के नाम पर हैं, वह राजस्थान पंचायत राज़ नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया हुआ हैं, जो नियमानुसार 50 वर्षों से अधिक पुराने गृहों पर कब्जे आधार पर जारी किया जाता हैं। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार विपक्षी संख्या 01 को वर्ष 2019 में तथाकथित पटटा जारी किया गया था, उस समय उसकी आयु वर्ष 2019 में मात्र 27 वर्ष होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि विपक्षी संख्या 01 ने प्रश्नगत पटटा संख्या 25 दिनांकित 18.11.2019 राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरीत, फर्जी तरीके प्राप्त किया हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार विपक्षी संख्या 01 को ग्राम पंचायत गुरलां पंचायत समिति सुवाणा की बुक संख्या 153 मिसल संख्या 193 दिनांक 06.10.2019 पटटा संख्या 25 दिनांकित 18.11.2019 से जारी पटटा विधि विरूद्व होने से, प्रारब्ध से ही शून्य होकर खारिज होने योग्य ठहरता हैं। जिससे निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत गुरलां पंचायत समिति सुवाणा की बुक संख्या 153 मिसल संख्या 193 दिनांक 06.10.2019 पटटा संख्या 25 दिनांकित 18.11.2019 से जारी पटटे को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत गुरलां पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,